06 मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

6.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना

6.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

6.3 वृद्धाश्रम

6.4 किन्नर कल्याण योजना

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य है राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना; पुनर्वास कार्यक्रम / सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण करना एवं पुनर्वास कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावर्धन करना।

2. छत्र–योजना का विवरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:

2.1. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस परियोजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिये पेंशन छोड़कर अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधित सेवाओं यथा बुनियाद केन्द्र, मोबाइल थेरेपी वैन "बुनियाद संजीवनी सेवा" आदि की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।

2.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

इस योजना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भिक्षुकजनों का पुनर्वास, कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना है, ताकि भिक्षावृत्ति दूर हो सके। इस योजना में वस्त्र वितरण योजना भी समाहित होगी।

2.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख–भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

3.4 किन्नर कल्याण योजना

इस योजना के तहत राज्य के किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किये जायेंगे।

Scanned by CarbonScanner

3. निधि का सौंवितरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत सभी योजनाएँ राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी, परन्तु आवश्यकतानुसार भारत सरकार, विश्व बैंक आदि से भी अनुदान / ऋण लिया जा सकेगा। जैसे, सम्प्रति बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना विश्व बैंक से ऋण पोषित है जिसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात यह योजना राज्य सरकार द्वारा अंगीकार कर ली जाएगी।

4. देय राशि/सेवाएँ

इस छत्र–योजना के अंतर्गत विभिन्न देय राशि / सेवाएँ निम्नवत हैं:

4.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस योजना अंतर्गत बुनियाद केन्द्र के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जाँच एवं आधुनिक उपकरणों से उचित ईलाज, आँख, वाक् तथा श्रवण संबंधित जाँच, परामर्श एवं उचित ईलाज, काउंसिलिंग की सुविधा, रेफरल सेवाएँ, आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन तथा मोबाइल थेरेपी वैन से समुदाय स्तर तक सेवा प्रदान करना है।

4.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

राज्य के भिक्षुकजनों को पुनर्वास / अल्पावास गृह के माध्यम से भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वस्त्र वितरण के तहत सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल को भिक्षुकों, अपंगों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जायेगा। सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दी जाएगी और प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही उनके कौशल विकासोपरांत रोजगार हेतु नियोजकों एवं स्व–रोजगार हेतु पूंजी निवेशकों / बैंकों से समन्वय स्थापित कराया जायेगा ।

4.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4 किन्नर कल्याण

राज्य के किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु परामर्श देना, पक्ष पोषण करना, किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं नवाचार योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करना आदि इस योजना अन्तर्गत मुख्य गतिविधि होगी।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन से तात्पर्य किसी भी लिंग / आयु का दिव्यांगजन, विधवा से तात्पर्य न्यूनतम 18 वर्ष की विधवा एवं वृद्धजन से तात्पर्य न्यूनतम 60 वर्ष का वृद्धजन होगा। इसी प्रकार निराश्रित, असहाय और भिक्षुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही अनुमान्य होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी। इसके आलोक में योजनावार पात्रता निम्नवत होगी :

Scanned by CarbonScanner

बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धजन
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	निराश्रित, असहाय, विधवाएँ एवं भिक्षुक
वृद्धाश्रम	बी.पी.एल. या वार्षिक आय रू. 60,000 (साठ हजार) से कम वाले वृद्धजन
किन्नर कल्याण	राज्य के सभी किन्नर एवं योजना विशेष, यदि हो, की अर्हता

6. प्रक्रिया

इस छत्र योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

इस छत्र–योजनाधीन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:

योजना का नाम:	आवेदन की प्रक्रिया:	अनुमोदन:
बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	स्वयं / रेफरल के द्वारा बुनियाद केन्द्र के माध्यम से	जिला प्रबंधक / सेंटर प्रबंधक
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	स्वयं / सर्वेक्षित / रेफरल द्वारा पुनर्वास गृह के माध्यम से	जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति
किन्नर कल्याण	किन्नर कल्याण बोर्ड के दिशा–निर्देश के अनुसार	

6.2 धन राशि/सेवा वितरण की प्रक्रिया

निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर किन्नर कल्याण हेतु किन्नर कल्याण बोर्ड में तथा अन्य योजनाओं हेतु सक्षम के बैंक खाते में रखी जायेगी, जो संबंधित लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता को सीधे उनके खाते में भुगतान करेगी। जैसे सक्षम से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से चयनित स्वयंसेवी संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास गृह को अनुबंध के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अन्तर्गत सक्षम द्वारा Parent Child Account की पद्धति से जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को राशि उपलब्ध करायी जाती है तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। किन्नर कल्याण हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

7. अनुश्रवण प्रणाली

इस छत्र योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं में जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय / विभाग को भेजा जायेगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस छत्र योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्या :– 03 / यो0–32 / 2017 / 5723, पटना, दिनांक 27.11.2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

भिक्षावृत्ति से निदान पाना सभ्य समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भिक्षावृत्ति निवारण के लिए बिहार में बिहार बैगरी प्रिवेन्शन एक्ट, 1951 बनाया गया जिसमें भिक्षावृत्ति के रोकथाम करने के लिए कई प्रावधान किये गये थे, किन्तु भिक्षावृत्ति रोकने से पूर्व प्रमुख समस्या भिक्षुकों का पुनर्वास का है। इसलिए उपर्युक्त कानून को प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बनाई गई है जिसके तहत भिक्षुकजनों को पहचान–पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध, पूर्णतः निःशक्त एवं लावारिश अवस्था में पाये जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुर्नवास सुनिश्चित करना है।

1.1 योजना की प्रमुख गतिविधियाँ

सर्वेक्षण पहचान–पत्र वितरण : योजना अन्तर्गत भिक्षाटन से जीवनयापन कर रहे एकल एवं संयुक्त समुदाय को चिन्हित करना एवं उन्हें पहचान–पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिससे कि पहचान–पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत संचालित गतिविधियों एवं सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना से लाभान्वित कराया जा सके।

पुनर्वास केन्द्रों (पुनर्वास गृह, अल्पावास) की स्थापना एवं संचालन : योजना अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से पुनर्वास गृह, अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान है जिसमें महिला एवं पुरुष भिक्षुकों को चिन्हित कर पुनर्वास केन्द्रों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ जैसे– भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

बसेरा का स्थापना एवं संचालन: गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बसेरा का संचालन करने का प्रावधान है जिसमें एकल एवं संयुक्त अतिनिर्धन वैसे कामगार हैं जो दिनभर के काम के बाद आश्रयहीनता के कारण सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि विश्राम करते हैं। इन लाभुकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, शुद्ध पेयजल आदि के साथ–साथ अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द की स्थापना: बाल भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु मार्गदर्शन, परामर्श चिकित्सीय देखभाल, नशामुक्ति, समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है।

आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द/कौशल कुटीर की स्थापना एवं संचालन: गैर सरकारी संगठन के माध्यम से योजना अन्तर्गत युवा भिक्षुकों को योग्यतानुसार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास करने के उपरान्त विभिन्न कार्यों यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित करने का प्रावधान है।

वस्त्र एवं कम्बल वितरण: शरद ऋतु में भिक्षुकों एवं अतिनिर्धनों में कम्बल तथा वस्त्र वितरण करने का प्रावधान है।

स्वयं सहायता समूह का गठन (सी.बी.एस.जी.): अतिनिर्धनजनों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन

Scanned by CarbonScanner

किया जा रहा है।

स्वास्थ्य जाँच एवं प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन : सत्यापित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य जाँच के उपरान्त आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों में आवश्यक संसाधनों से संबंधित प्रतिवेदन।

1. **स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालन किये जाने पर स्वयंसेवी संस्था की संभावित पात्रता:**

   1 आवेदन संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

   2 2 वर्षों से अधिक आवासीय गृहों/बाल केन्द्रों /महिला गृह/वृद्धजन गृह/कुष्ठ केन्द्रों/ नशा विमुक्ति केन्द्रों/अस्पतालों जो कि सरकारी/अर्धसरकारी संगठन/आई.एन.जी.ओ./स्वायत्त निकायों द्वारा वित्त पोषित हो, का संचालन का अनुभव।

   3 पिछले तीन वित्तीय वर्ष की व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16) जिसमें संस्थान का प्रति वर्ष औसत कारोबार 10 लाख होनी चाहिए।

   4 पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2013–14, 2014–15 तथा 2015–16) का आयकर रिटर्न विवरणी।

   5 आवेदक संस्थान को न्यायालय/सरकार/विभाग द्वारा बेदखल/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, का शपथ–पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि में होना चाहिए।

2. **आवश्यक मानव संसाधन :** गृह अधीक्षक, सहायक मेडिकल ए.एन.एम., क्षेत्र समन्वयक (बचाव, प्रत्यावर्तन एवं सामाजिक सुरक्षा) क्षेत्र समन्वयक, परामर्शदाता सह समस्या प्रबंधक, लेखापाल–सह–प्रचालक, सुरक्षा प्रहरी, रसोईया, सहायक रसोईया, सफाई कर्मचारी, धोबी, चिकित्सक सामान्य एवं मनोचिकित्सक अंशकालिक।

3. **भवन का क्षेत्रफल (6,000 वर्ग फुट):** लाभुकों हेतु आवासीय जगह, रसोईघर एवं भोजनालय, चिकित्सा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भंडार कक्ष, स्नान कक्ष, शौचालय, कार्यालय अधीक्षक कक्ष, परामर्श कक्ष, अधीक्षक हेतु आवासीय कक्ष, स्नान कक्ष एवं शौचालय सहित आवासीय कक्ष/अभिरक्षक, सहायक नर्सिंग मेडिकल, सफाई कर्मचारी, धोबी, प्रहरी इत्यादि हेतु शयन कक्ष, स्नान कक्ष एवं शौचालय आदि हेतु लगभग 4,500 वर्गफुट एवं बागवानी कार्य हेतु 1,500 वर्गफुट।

4. **केन्द्र में आवासित लाभुकों को मिलने वाले भोजन की सूची एवं मात्रा विस्तृत विनिर्देश के अनुसार।**

5. **वस्त्र एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विस्तृत/विनिर्देश :** 2 जोड़ी कमीज, 2 जोड़ी पतलून, 2 जोड़ी टी–शर्ट, 2 जोड़ी अंतःवस्त्र, 1 तौलिया, 1 लुंगी, व्यक्तिगत साफ–सफाई किट का सेट जिसमें 50 ग्राम टूथपेस्ट, 100 मिली लीटर नारियल तेल, 1 कंघी, 1 पीस शौचालय साबुन, 1 पीस जीभी, 1 पीस मुँह धोने का ब्रश, 1 जोड़ी चप्पल।

6. **स्थापना हेतु परिसम्पतियाँ:** कम्प्युटर सेट डेक्सटॉप, प्रिन्टर (ऑल इन वन), डिजीटल कैमरा, सी.सी.टी.वी. कैमरा (डोम विजन), बायोमैट्रिक्स डिवाईस, आईरिस स्कैनर, दरी, पंखा, ऑलमीरा, वाशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर/फ्रीजर, आर.ओ. वाटर फिल्टर, टेलीविजन सेट, बिस्तर सेट लॉकर बॉक्स के साथ, विद्युत फिटिंग, फर्नीचर, खेल और सांस्कृतिक साधन, रसोई सेट एवं विविध।

7. **कुल व्यय वार्षिक मद :** कर्मियों का मानदेय, मकान किराया, बिजली (अधिकतम वास्तविक व्यय के आधार

Scanned by CarbonScanner

पर), दूरभाष, इन्टरनेट फैक्स के साथ, भरण पोषण (भोजन / 1,400 एवं कपड़ा, चप्पल, दवा, साबुन, तेल, पाउडर इत्यादि / 600) सरकारी अस्पताल में चिकित्सा / व्यसन मुक्ति / परामर्शी / अन्य विशेष मामले में रेफरल व्यय (वास्तविक व्यय के आधार पर) अतिरिक्त गतिविधियाँ / व्यावसायिक प्रशिक्षण / सांस्कृतिक गतिविधियाँ / आजीविका प्रशिक्षण एवं अन्य यात्रा, पुस्तकालय (अखबार, पत्रिकाएँ) एवं अन्य आकस्मिकता।

8. **कार्य अवधि एवं कार्य का नवीकरण :** चयनित संस्था को अनुबंध हस्ताक्षरित करने की तिथि से कुल 11 माह तक लिये कार्य आवंटन दिया जाएगा। चयनित संस्थान द्वारा पिछले 11 माह में किये गये कार्य को संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में अनुबंध को प्रत्येक अगले 11 माह पर अधिकतम 33 माह तक अनुबंध को विस्तारित किया जा सकता है। जबकि इस संदर्भ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

2. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.)

समाज कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.) स्वीकृत की गयी है। बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना करना और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्द्धन करना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की सोसाइटी स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर, 'सक्षम' तथा ग्रामीण विकास विभाग की सोसाइटी बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसायटी (बी.आर.डी.एस.) द्वारा किया जा रहा है।

2.1 बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना के दो मूल घटक हैं:

क. वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण।

ख. सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन।

परियोजना का एक मुख्य घटक है 'बुनियाद केन्द्र' जिसकी स्थापना सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधी सेवाएँ प्रदान करने हेतु की जा रही है। इन केन्द्रों में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक देखभाल से जुड़ी कई प्रकार की सेवाएँ दी जानी हैं। परियोजना के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की गई है, साथ ही पेंशन के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण डी.बी.टी. की शुरुआत भी की गई है। इस व्यवस्था से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान प्रक्रिया में गति, सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ–साथ कार्यकुशलता आएगी तथा पेंशन के लाभार्थियों–वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुँच सकेगा।

राज्य के सभी 101 अनुमण्डलों में कुल 101 बुनियाद केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में सभी 38 जिलों में बुनियाद केन्द्रों का तत्काल संचालन किया जा रहा है।

बुनियाद केन्द्रों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और परामर्श के अलावा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण संबंधी परामर्श भी दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में आधुनिक मशीनों द्वारा वाक् एवं श्रवण संबंधी जाँच के साथ–साथ आँखों की जाँच और उचित इलाज के लिए परामर्श की सुविधा एवं विकलांगता प्रमाणीकरण हेतु विभिन्न जाँच की सुविधा भी उपलब्ध है। वृद्धावस्था की आम समस्याओं जैसे घुटने एवं

Scanned by CarbonScanner

कमर में दर्द, गठिया, लकवा और हड्डियों के टूटने से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था भी यहाँ की गयी है।

बुनियाद केन्द्रों में सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था के तहत कानूनी सलाह एवं भावनात्मक परामर्श भी दिए जाते हैं जिससे इन उपेक्षित वर्गों में जिन्दगी के प्रति सकारात्मक सोच बनी रहे। साठ वर्ष से ऊपर के वृद्धजन, दिव्यांगजन (शारीरिक और मानसिक या किसी भी तरह की दिव्यांगता से ग्रसित किसी भी आयु वर्ग की महिला, पुरुष एवं बच्चे) और 18 वर्ष से ऊपर की विधवाएँ बुनियाद केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए जिला स्तर पर केन्द्रों में अल्प समय के लिए रुकने की भी व्यवस्था है।

बी.आई.एस.पी.एस. परियोजना का उद्देश्य है कि ना केवल बुनियाद केन्द्र परिसर में आने वाले वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं को सामाजिक देखभाल प्रदान की जाए बल्कि आवश्यकतानुसार विशिष्ट वाहनों के जरिये गाँव और पंचायतों तक पहुँचकर समुदाय स्तरीय सेवाएँ भी प्रदान किया जा सके। समस्त सभी 38 जिलों में मोबाईल आउटरीच और थेरेपी वैन का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा को 'बुनियाद संजीवनी सेवा' का नाम दिया गया है। यह विशिष्ट वाहन आवश्यक उपकरणों और सेवाओं से सुसज्जित हैं। इन वाहनों के माध्यम से पंचायतों में शिविर लगाकर लक्षित समूहों को चिन्हित कर उनके लिए आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने की व्यवस्था है। अगर वाहन में उपलब्ध सुविधाएँ लाभार्थियों के लिए पर्याप्त न हों तो उन्हें बुनियाद केंद्र या अस्पताल रेफर किया जाता है।

परियोजना के लाभार्थियों को सीधे–सीधे परियोजना के लाभों से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है जिससे ज्यादा–से–ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। परियोजना से संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं अन्य भागीदारों की क्षमतावृद्धि हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है।

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

कुटीर में रहने के लिए सहमति पत्र

मैं ..... पुत्र / पुत्री ..... पता ..... एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं आज से पूर्व अपना जीवन यापन करने में अक्षम महसूस कर रहा था / रही थी, जिसके कारण मैं पिछले ..... वर्ष / महीना से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ..... स्थान पर भिक्षावृत्ति कर रहा / रही थी। मुझे संचालित अल्पावास गृह सह वर्गीकरण केन्द्र के बारे में ..... कुटीर कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मिली, जिसके बाद इसमें अपने रहने की इच्छा व्यक्त की। आज दिनांक ..... दिनांक ..... को मैं अपने पूरे होशों हवास में घोषणा कर रहा / रही हूँ कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस गृह में रहने जा रहा / रही हूँ एवं इसके लिए मेरे उपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया।

गवाह के हस्ताक्षर　　क्षेत्र समन्वयक का हस्ताक्षर　　लाभार्थी का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

कुटीर छोडनें हेतु शपथ–पत्र

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... उम्र ..... पता ..... (NGO) द्वारा संचालित महिला भिक्षुक हेतु संचालित अल्पावास गृह सह वर्गीकरण केन्द्र (SEWA KUTIR) के द्वारा प्रदान की जा रही सभी प्रकार की सुविधाओं यथा रहने, खाने, इलाज, मनोरंजन इत्यादि से पूर्णत: संतुष्ट एवं सहमत हूँ। मैं अपनी इच्छा से सेवा कुटीर से बाहर जाना चाहती हूँ। इसलिए आज दिनांक ..... दिन ..... को अपने पूरे होशो–हवाश में स्वेच्छा से बाहर जा रहा / रही हूँ। आज के बाद हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी इस सेवा कुटीर एवं स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (SSUPSW) की नहीं होगी। सेवा कुटीर के बाहर अगर हमारे साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा / रहूँगी।

गवाह के हस्ताक्षर　　क्षेत्र समन्वयक का हस्ताक्षर　　लाभार्थी का हस्ताक्षर

1.

2.

3.

Scanned by CarbonScanner